न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सांखला,आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 2/2009 अन्तर्गत धारा 223 आर0टी0एक्ट0

उनवान :– 1. श्यामा पुत्र श्रीनाथा(फौत)

2. मु0 धन्नीबेवा लालचंद

3. मु0 छोटी पत्नि शंकर

जाति जाटान वासी नयाबास तह0 बानसुर जिला अलवर राज0

––– प्रतिवादीगण अपीलान्टान

बनाम्

1. बद्रीलाल पुत्र श्यामा पौत्र नाथा

2. बाबूलाल पुत्र श्यामा पौत्र नाथा

3. संता पुत्री श्यामा पौत्री नाथा

4. मु0 मिश्री पुत्री श्यामा पौत्री नाथा

5. चिडिया पुत्री श्यामा पौत्री नाथा

6. उमा पुत्री श्यामा पौत्री नाथा

7. धौलीपुत्री श्यामा पौत्रीनाथा

8. कविता पुत्री श्यामा पौत्री नाथा

9. धन्नी धर्मपत्नि श्यामा पुत्रवधु नाथा

जाति जाटान वासी नयाबास तह0 बानसुर अलवर

–––वादीगण रेस्पाडेन्टान

10. लीला उर्फ लाला पुत्र हीरालाल नबीरा नाथा

11. महादेवा पुत्र निहाला (फौत)

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

11/1. सुआ पुत्र महादेव जाति जाट निवासी नयावास तह0 वानसूर जिला अलवर

11/2. पूर्ण पुत्र महादेव जाति जाट निवासी नयावास तह0 वानसूर जिला अलवर

11/3. कालुराम पुत्र महादेव जाति जाट निवासी नयावास तह0 वानसूर जिला अलवर

11/4. मानसिंह पुत्र महादेव जाति जाट निवासी नयाबास तह0 बानसूर जिला अलवर

11/5. मु0 सरेली बेवा महादेव जाति जाट निवासी नयाबास तह0 बानसूर जिला अलवर(फौत)

11/6. मूर्ति पुत्री महादेव जाति जाट निवासी नयाबास तह0 बानसूर जिला अलवर

11/7. तीजा पुत्री महादेव जाति जाट निवासी नयाबास तह0 बानसूर जिला अलवर

11/8. चिड़िया पुत्री महादेव जाति जाट निवासी नयाबास तह0 बानसूर जिला अलवर

11/9. भूरी पुत्री महादेव जाति जाट निवासी नयाबास तह0 बानसूर जिला अलवर

12. मगताराम पुत्र निहाला

13. बुद्धा पुत्र निहाला

14. रघुवीर पुत्र निहाला

15. घुडाराम पुत्र निहाला

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

16. ख्याली पुत्र छीतर

17. बौदपुत्र कीतर मृतक (फौत)

17/1. मु0 कमली स्त्री बौदू

17/2. केदार पुत्र बौदू

17/3. धर्मा पुत्री बौदू

17/4. गोपी पुत्रान बौदू

17/5. कु0 सोनी पुत्री बौदू नाबालिगांनस जरिये माताखुद

18. बहादुर पुत्र छीतर

19. मु0 सौनी बेवा बिडदाराम(फौत)

20. गणपत पुत्र बिडदाराम(फौत)

20/1. मु0 घीसी देवी बेवा गणपत जाति जाट निवासी नयाबास तह0 बानसूर जिला अलवर

20/2. बलबीर पुत्र गणपत जाति जाट निवासी नयाबास तह0 बानसूर जिला अलवर

20/3. महेन्द्र पुत्र गणपत जाति जाट निवासी नयाबास तह0 बानसूर जिला अलवर

20/4. धल्ली पुत्री गणपत जाति जाट निवासी नयाबास तह0 बानसूर जिला अलवर

20/5. मन्नी पुत्री गणपत जाति जाट निवासी नयाबास तह0 बानसूर जिला अलवर

21. रामचंद पुत्र बिडदाराम

22. बंशी पुत्र बिडदाराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

23. जिलैसिंह पुत्र बिडदाराम

24. बनवारी पुत्र बिडदाराम

25. शंकर पुत्र श्यामा नबीरा नाथा

26. लेखराम पुत्र लालचंद पौत्र श्यामा

27. सतीश पुत्र लालचंद पौत्र श्यामा

28. मु0 धन्नी बेवा लालचंद पुत्रवधु श्यामा

29. शाखा प्रबंधक अलवर भरतपुर आचलित ग्रामिण बैंक शाखा कराना

30. श्रीमान् तहसीलदार साहब पदेन उपपंजियक तहसील बानसुर अलवर

———प्रतिवादीगण रेस्पाडेन्टान

<u>अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक जिलाधीश अधिकारी, बानसूर निर्णय दिनांक–29.12.2008</u>

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री मूलचन्द चौधरी

2. वकील रेस्पो0 :– श्री राजकुमार गंगावत

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक–</u> 17.06.2021

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर, बानसूर दावा राजस्व वाद संख्या 224/2002 में पारित निर्णय दिनांक 29.12.2008 के खिलाफ है, जिसके द्वारा उक्त वाद बाबत् इस्तकरारहक व हुकमइम्तनाई दवामी एवं तकसीम डिक्री किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने तहत अदालत में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र में अंकित आराजीयात मृतक नाथा, निहाला, छीतर, बिडदू की समान भाग की कब्जे काश्त की भूमि रही है। परन्तु विवादित आराजी हाल खं0 नं0 1/4, 2,3 व 14/1, 261/3, 303, 304, जो कि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैत्रिक आराजी है, परिवार का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

मुखिया होने के कारण प्रतिवादी नम्बर 01 अकेले के नाम दर्ज कर दी गई है, जो गलत है। अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे। तहत अदालत ने उक्त वाद अपीलाधीन निर्णय द्वारा डिक्री किया है, जिसकी यह अपील है।

3. बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि तहत अदालत ने प्लीडिंग के अनुसार तनकियात कायम नहीं की। साक्ष्यों की विवेचना नहीं की। वादीगण ने नाथा की मृत्यु सम्वत 2034 में होना गलत दर्ज किया। वह सम्वत 2032 में मरा था। जब नाथा की मृत्यु पर विवादित भूमि में हक होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। नाथा की मृत्यु के समच प्रचलित हिन्दू लॉ के प्रावधानों के अनुसार किसी भी महिला को शेयरर की हैसियत से पिता की आराजी में कोई हिस्सा नहीं होता है। वाद वर्ष 2002 में तहत अदालत पेश किया गया तथा हिन्दू लॉ में पिता की सम्पत्ति पर लडकियों का हिस्सा होने का संशोधन वर्ष 2005 में किया गया था। दावा दायरी के समय वर्ष 2002 में पिता की सम्पत्ति में लडकियों को हिस्सा देने का प्रावधान नहीं था, परन्तु तहत अदालत ने गौर नहीं किया। नाथा के 2 पुत्र थे– शामा व हिरा। हिरा , नाथा के जीवनकाल में ही गुजर गया था। 1/2 हिस्से की विरासत हीरा के पुत्र लीला के नाम सही दर्ज हुई है। वाद पत्र में बयनामों को भी चैलेंज किया है। इसलिये वाद राजस्व न्यायालय में चलने योग्य नहीं था, परन्तु तहत अदालत ने इस बिन्दू पर गौर नहीं किया। वाद पत्र में आराजी का विभाजन भी चाहा है। विभाजन के वाद में तहसीलदार लैंड होल्डर की हैसियत से आवश्यक पक्षकार है, परन्तु उसे पक्षकार नहीं बनाया गया। प्रतिवादी ने तहत अदालत में वादीगण के खिलाफ एक वाद दायर किया था, जिसे दिनांक 09.11.2005 को मौजूदा वाद के साथ कन्सोलिडेट कर दिया था, परन्तु उक्त वाद का कोई निर्णय नहीं किया। तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जावे। विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में 2015(2) आर0आर0टी0 1283, 2016(1) आर0आर0टी0 277, 2015(2) आर0आर0टी0 813, 2016(2) आर0आर0टी0 (एस0 सी0)1309, 2016 (1) आर0आर0टी0 (एस0 सी0)29 का हवाला दिया।

4. जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिये कि विवादित भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की पैत्रिक भूमि है। इसका पूर्व मालिक धोकल था। हिन्दू संयुक्त परिवार की पैत्रिक सम्पत्ति में सभी वारिसों का हक हिस्सा होता है। शामा ने अपने हक हिस्से से ज्यादा भूमि का बेचान कर दिया। तहसीलदार को भी प्रतिवादी नम्बर 04 के रूप में पक्षकर बनाया है। जहां तक लड़कियों को शेयरर की हैसियत से हिस्सा देने अथवा न देने का प्रश्न है तो इस संबंध में मेरा निवेदन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11.08.2020 में लड़कियों का हक माना है। तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्को पर गौर किया। साथ ही अपीलाधीन निर्णय का भी अवलोकन किया। तहत अदालत की पत्रावली के अवलोकन से सिद्ध है कि असल प्रतिवादी सं0 1 ला0 3 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर दिया गया था और तनकियात भी कायम दी गई थी, परन्तु तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है। जबकि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

आदेश 20 नियम 5 में प्रावधान किया गया है कि विवाद्यक विरचित होने के बाद प्रत्येक विवाद्यक का विवेचन करते हुए तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिये। इसके अतिरिक्त तहत अदालत का निर्णय आख्यात्मक आदेश (speaking order) की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि निर्णय के पेज नम्बर 06 के अन्त में लिखा है कि दस्तावेजात, बयान शपथ पत्रों, नजीरों का अवलोकन किया। फिर पेज नम्बर 07 पर लिखा गया कि उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा डिक्री किया जाता है। क्या-क्या विवेचन किया, इसका उल्लेख अपीलाधीन निर्णय में नहीं है। विवेचन किये बिना ही सीधे वाद पत्र डिक्री कर दिया, जो कि विधिसम्मत नहीं है। वाद पत्र तकासमा बाबत भी था। अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से सिद्ध है कि विभाजन के नियमों की पालना तहत अदालत द्वारा नहीं की गई है अर्थात ना तो तहसीलदार से रिपोर्ट ली गई, ना खाता अलग किया गया, ना लगान निर्धारित किया आदि। अपीलांट ने अपने द्वारा एक वाद पेश करना और उस वाद को मौजूदा वाद के साथ सन्सोलिडेट करना तथा उक्त वाद का निर्णय नहीं करना बताया है। इस संबंध में हमने तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से सिद्ध है कि उक्त वाद संख्या 20/2003 था, जो दिनांक 29.12.2008 को खारिज कर दिया था। यह वाद मौजूदा अपीलांट शामा ने पेश किया था। अतः अपीलांट का यह कथन खारिज किया जाता है कि उसके वाद पत्र का कोई निर्णय नहीं किया गया।

6. उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में यह स्पष्ट है कि तहत अदालत ने अपना निर्णय पारित करते समय ना तो आदेश 20 नियम 5 में दिये गये प्रावधानों की पालना की, ना ही साक्ष्यों का विवेचन किया, ना ही विभाजन के नियमों की पालना की। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय आख्यात्मक आदेश (speaking order) की श्रेणी में नहीं आता है। लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत अदालत के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.12.2008 निरस्त किये जाते है तथा प्रकरण तहत अदालत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वो वाद पत्र में कायम तनकियात पर उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर तनकीवार निर्णय पारित करें। साथ ही विभाजन के नियमों की पूर्ण पालना की जावे। उभयपक्ष वास्ते सुनवाई तहत अदालत में दिनांक 19.7.21 को पेश हो।

8. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो।

17/6/2021

(अशोक कुमार सांखला)

भू-प्रबंध अधिकारी एव पदेन
राजस्व अपील अधिकारी अलवर